न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 14/2017

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1— श्री सुजाराम पुत्र तुलछाराम के कायम मुकाम— 1/1 अणछी देवी बेवा सुजाराम 1/2 धुड़ीदेवी पुत्री सुजाराम जाति पटेल निवासी ग्राम सर तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. सुखाराम पुत्र नगारामजी 2. श्रवण पुत्र गोकलरामजी 3. कमली पुत्री गोकलरामजी जातियान् पटेल निवासीगण ग्राम सर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

01. वादी की ओर से अधिवक्ता प्रेम कुमार देवड़ा

02. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ईश्वर सिंह

आदेश 07/01/2025

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक को किया गया एवं तहसीलदार लूणी को बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकरान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 26.07.2024 को पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम के खसरा संख्या भूमि मे नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बंटवाड़ा प्रस्ताव दिनांक 26.07.2024 मय मौका फर्द दिनांक 19.07.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो संलग्न पत्रावली है । इनके अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्नानुसार हैः—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	लगान
01.	अणछी देवी पत्नि सुजाराम जाति पटेल सा.देह खातेदार	419	2.3096	बारानी प्रथम	7.99
		योग—1	2.3096	बारानी प्रथम	7.99
02.	कमला पत्नि मगारामजी जाति जाट जाटो का बास बोरानाडा	419	1.6187	बारानी प्रथम	5.60
		योग—1	1.6187	बारानी प्रथम	5.60
03.	अणछी पत्नि सुजाराम हिस्सा 1/2, अमराराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/4, खेराजराम पुत्र कानाराम हिस्सा 1/4 जातियान् पटेल सा.देह खातेदार	419	0.3236	बारानी प्रथम	1.12
		योग—1	0.3236	बारानी प्रथम	1.12
04.	सुखाराम पुत्र नगाराम हिस्सा 1/2 , श्रवण पुत्र गोकलराम हिस्सा 1/4, कमली पुत्री गोकलराम हिस्सा 1/4 जातियान् पटेल सा. देह खातेदार	419	8.5038	बरानी प्रथम	29.42
		योग—1	8.5038	बरानी प्रथम	29.42

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उक्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गयी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण का दावा स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद वास्ते खातेदारी बंटवाडा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश हुआ। जो कि वादीगण वाद मौका फर्द दिनांक 19.07.2024 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने बाबत स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावें तथा राजस्व नक्शे में तरमीम की जावें। उक्त मौका फर्द इस आदेश का अंग शुमार हो। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करें। तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हों। आदेश सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 14/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1– श्री सुजाराम पुत्र तुलछाराम के कायम मुकाम– 1/1 अणछी देवी बेवा सुजाराम 1/2 धुड़ीदेवी पुत्री सुजाराम जाति पटेल निवासी ग्राम सर तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1. सुखाराम पुत्र नगारामजी 2. श्रवण पुत्र गोकलरामजी 3. कमली पुत्री गोकलरामजी जातियान् पटेल निवासीगण ग्राम सर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 53 , 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 14/2017 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादीगण का वाद वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश हुआ। उक्त वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी बंटवाड़ा मौका फर्द दिनांक 19.07.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड मे अलग–अलग हिस्सा बट्टा नम्बर तथा तरमीम दर्ज करें। बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी नही करावें तथा किसी अन्य से करावें।

नीज..मुबलिक...............................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक............ ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 07/11/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

मुद्धाई	रूपया	पै.	मुद्धायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीज़ान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी